न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 9/2017/डिक्री

पीरूलाल पिता कनीराम खटीक
निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. मदनलाल पिता रामलाल जाट
   निवासी बागुण्ड तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
2. करणसिंह पिता रामसिंह शक्तावत
   निवासी गुढ़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
3. शंकरलाल पिता लक्ष्मण ब्राह्म्ण
   निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
4. भगवानलाल पिता नारायण ब्राह्म्ण–फौत
5. अल्लानुर पिता बादर मुसलमान
   निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
6. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 05.07.2016 प्रकरण सं. 141/2013

उपस्थित – 1. श्री चन्दनमल जणवा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जाहिद रजा – रेस्पोडेन्ट 1 से 3 व 5

निर्णय दिनांक– 26.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट ने धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ मे खाता संख्या 772 आराजी नम्बर 847,848,849,850 कुल किता 4 रकबा 5.17 स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक की संयुक्त खातेदारी की है जिसमे वादी नम्बर 1 मदनलाल को 1/24, वादी संख्या 2 पीरूलाल को 1/12 एवं वादी संख्या करणसिंह का 1/24 हक हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का संयुक्त रूप से 2/3 एवं 5 का अल्लानुर का 1/6 हिस्सा निहित है उसी अनुसार मौके

पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवाडा नही होने से तथा रकबे की कमी बेशी को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिये बंटवाडा किया जाकर अलग–अलग खाते मे दर्ज की जावे। प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया दौराने वाद पत्रावली कैम्प कोर्ट पर नियत की गई जिस पर पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर सहमति से मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडे का अनुतोष चाहा व न्यायालय द्वारा दिनांक 15/03/2015 को वाद पत्र वादी प्राथमिक डिक्री किया गया उसके बाद फर्द बंटवाडा हेतु पत्रावली दिनांक 02/11/2015 को नियत की गई। दिनांक 02/11/15 को पत्रावली पुनः कैम्प कोर्ट मे नियत करते हुए बिना मौके पर फर्द बंटवाडा कायम किये वादपत्र अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बिना मौके पर गये कैम्प कोर्ट मे मन मकसुद तरीके से मौके पर पक्षकारान के कब्जे को नजर अंदाज करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मदनलाल को लाभ पहूॅचाने की नियत से मौके पर गये बिना ही फर्द बंटवाडा कायम करने हुए प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05/03/2015 को प्रस्तुत किये गये राजीनामे के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना मे भूमिधारी तहसीलदार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट को व दिगर रेस्पोडेन्ट को कोई सूचना पत्र जारी नही किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05/07/2016 की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। दिनांक 28/11/2016 को निर्णय की जानकारी होने पर नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 30/11/2016 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05/07/2016 को निरस्त किया जाकर मौके पर कब्जे अनुसार फर्द बंटवाडा तलब किया जाकर किया जाकर अंतिम डिक्री जारी किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करावे।

3. दोराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवाडे का धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित वाद विचाराधीन है। बंटवाडे के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए है उसके साथ संलग्न मौका फर्द जो पत्र दिनांक 05/07/2016 के माध्यम से प्राप्त हुई है। उसमे केवल मदनलाल को ही मौके पर उपस्थित

बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो हिस्सा–कस्सी की गई है उसको लेकर कोई विवाद नही है, लेकिन बंटवाडे के प्रस्ताव मे मौके पर जहां अपीलान्ट काबिज है तथा जिस भूमि को अपीलान्ट द्वारा विकसित की गई है वह दुसरे को दे दी गई है जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. बहस वकील रेस्पोडेन्ट सुनी गई। जिनका कहना है कि उक्त बंटवाडे से उनके भी हक प्रभावित हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाडा विधि सम्मत नही किया गया है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई और मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि बंटवाडा सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध मे उभयपक्षो को मौके पर बुलाकर तैयार नही किया गया है जिसके कारण उभयपक्ष बंटवाड़ा डिक्री से संतुष्ट नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 141/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 05/07/2016 अपास्त किया जाकर उभयपक्षो को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़